**दिनांकः 20.12.2016 को निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित योजना के अनुश्रवण से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

1. उपस्थिति – संलग्न।
2. कृषि विभाग के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय 228135.08 लाख रूपये के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना के केन्द्रांश मद में 58778.137 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 38934.074 लाख रूपये कुल उद्व्यय 97712.211 लाख रूपये उपलब्ध है। केन्द्र प्रायोजित योजना के उद्व्यय के विरूद्ध कुल 48784.624 करोड़ रूपये की राशि की राज्यादेश निर्गत की जा चुकी है।
3. **राष्ट्रीय कृषि संधारणीय मिशन (NMSA)**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 3000.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 2000.00 लाख रूपये स्वीकृत है। उक्त योजनान्तर्गत तीन उप योजना स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार से राशि विमुक्ति नहीं हुई है।

3.1 **वर्षा आच्छादित क्षेत्र (RAD) का विकास**– उक्त योजनान्तर्गत 250.00 लाख रूपये भारत सरकार से प्राप्त पुनर्वैधिकरण राशि का समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत की जा चुकी है। व्यय शून्य है। योजना व्यय सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया है।

3.2 **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन**– वर्ष 2015–16 की कुल 14.71 लाख रूपये राशि का पुनर्वैधिकरण किया गया है। वर्ष 2016–17 में स्वीकृत राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश निर्गत करने हेतु पत्र बजट शाखा को भेजने के लिए निदेश दिया गया है।

3.3 **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** – वर्ष 2015–16 की योजना में स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 की कुल 248.19 लाख रूपये केन्द्रांश का पुनर्वैधिकरण किया गया है, जिसके समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जाना है। संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को उक्त योजना के लिए बजट शाखा को इस आशय का पत्र भेजने का निदेश दिया गया है कि किस जिला में कितना राशि राज्यांश/केन्द्रांश/कोटिवार राशि आवंटित किया जाना है। निदेश दिया गया कि भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर राशि विमुक्त करायें।

4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 8922.80 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 7431.01 लाख रूपये कुल 16353.81 लाख रूपये में से 10177.061 लाख रूपये की स्वीकृत्यादेश निग्रत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2014–15 के लिए 4655.85 लाख रूपये का पुनर्वैधिकरण किया गया है एवं वर्ष 2016–17 के लिए 3083.43 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। स्वीकृत्यादेश निर्गत के उपरांत अवशेष राशि की स्वीकृति हेतु अविलम्ब योजना प्रस्ताव, चेक लिस्ट एवं संलेख प्रारूप उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है।

5. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 19905.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 13270.00 लाख रूपये स्वीकृत है। कुल 20045.85 लाख रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा चुकी है। 12564.25 लाख रूपये की योजना का प्रस्ताव प्राधिकृत समिति/स्थायी वित्त समिति हेतु उपस्थापित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 अव्ययहृत राशि 5194.00 लाख रूपये में से वर्ष 2016–17 हेतु हरित क्रांति उप योजना के लिए 4268.00 लाख रूपये एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के लिए 926.00 लाख रूपये पुनर्वैधिकरण किया गया है। वर्ष 2016–17 हेतु हरित क्रांति उप योजनान्तर्ग 4365.00 लाख रूपये एवं फसल विविधिकरण योजना हेतु 40.00 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है। इस प्रकार उक्त योजना में केन्द्रांश मद में कुल उपलब्ध राशि 959900 लाख रूपये है। उक्त के विरूद्ध आवंटन निर्गत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) से कृषि प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया है। उक्त प्रस्ताव तैयारी करने हेतु उप निदेशक (प्रक्षेत्र), को प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया ताकि योजना की स्वीकृति जल्द दी जा सके।

6. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 7959.86 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 5053.25 लाख रूपये स्वीकृत है। 7013.12 लाख रूपये की योजना की स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा चुकी है। कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध 2101.87 लाख रूपये व्यय की गयी है। योजना व्यय की गति को तेज करने का निदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 'Per Drop More Crop and other intervention' की कुल 4936.536 लाख रू० लागत पर योजना स्वीकृति हेतु प्राधिकृत समिति भेजी गयी है।

7. **राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयल पाम मिशन**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 175.998 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 130.70 लााख रूपये स्वीकृत है। कुल 264.23 लाख रूपये की योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा चुकी है। कुल 1.59 लाख रूपये व्यय की गयी है, जो कि चिंताजनक है। योजना व्यय में तेजी लाने का निदेश दिया गया है।

8. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 2631.00 लाख रूपये राज्यांश मद में 1754.00 लाख रूपये स्वीकृत है। कुल 4385.00 लाख रूपये की योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा चुकी है। कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध 338.87 लाख रूपये का व्यय की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 1196.00 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने का निदेश दिया गया है।

9. **परम्परागत कृषि विकास योजना**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 1415.88 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 943.92 लाख रूपये स्वीकृत है। स्थायी वित्त समिति से कुल 1008.6145 लाख रूपये की योजना स्वीकृत है। योजना की स्वीकृत्यादेश हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत

सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए केन्द्रांश मद में 664.26 लाख रूपये विमुक्त किया गया है।

10. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 6213.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 3192.044 लाख रूपये स्वीकृत है। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए केन्द्रांश मद में 1537.15 लाख रूपये विमुक्त किया गया है।

11. **राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना–कृषि** – उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 3645.59 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 243.06 लाख रूपये स्वीकृत है। चेकलिस्ट एवं संलेख हेतु प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के लिए उपस्थापित है।

12. **समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 5000.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 3333.33 लाख रूपये स्वीकृत है। कुल 3198.333 लाख रूपये की योजना की स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा चुकी है। कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध कुल व्यय 3181.26 लाख रूपये है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 1919.00 लाख रूपये विमुक्त की गयी है। भारत सरकार को द्वितीय किस्त विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है।

13. **सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मैटेरियल**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 1486.97 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 447.40 लाख रूपये स्वीकृत है। चेकलिस्ट एवं संलेख हेतु प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है। बजट पदाधिकारी को बजट शीर्ष खोलकर भारत सरकार से विमुक्त राशि के विरूद्ध बिहार आकस्मिकता निधि से राशि प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

14. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन**– उक्त योजनान्तर्गत कुल उद्व्यय केन्द्रांश मद में 1403.04 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 935.36 लाख रूपये स्वीकृत है। चेकलिस्ट एवं संलेख हेतु प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है। बजट पदाधिकारी को उपर्युक्त शीर्ष खोलने एवं राशि बिहार आकस्मिकता निधि से लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

15. **समस्याग्रस्त मृदा के उपाचार (RPS)**– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के अंतर्गत उपलब्ध राशि से योजना प्रस्ताव तैयार करने का निदेशक, भूमि संरक्षण को निदेश प्रदान किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Tripathi 27/12/2016

(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5441 / कृ०, पटना, दिनांकः 27/12/ 2016

प्रतिलिपि :– निदेशक, कृषि / निदेशक, उद्यान / निदेशक, भूमि संरक्षण / निदेशक, बामेती सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 27/12/2016

निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5441 / कृ०, पटना, दिनांकः 27/12/ 2016

प्रतिलिपि :– सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नोडल पदाधिकारी / बजट पदाधिकारी, सचिवालय संभाग, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 27/12/2016

निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5441 / कृ०, पटना, दिनांकः 27/12/ 2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 27/12/2016

निदेशक, पी0पी0एम0,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

C:\Documents and Settings\ITFACILITATOR\Desktop\Karyawahi.doc